

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक: एफ.18(आई-26)आईडब्ल्यूएमपी./2009-10/5197-5208 दिनांक: 16-4-2010

आदेश

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गटिल स्टेट लेवल नोडल एजेंसी (आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर) में कनिष्ठ अभियन्ता के 4 पदों के सृजन के सम्बन्ध में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101000539 दिनांक 23.2.2010 के द्वारा स्टेट लेवल नोडल एजेंसी के अनुमोदन की शर्त पर स्वीकृति जारी की गई थी। एस.एल.एन.ए की बैठक दिनांक 26.3.2010 के अनुसार उक्त पदों के सृजन के अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए के कार्यालय में निम्नांकित पद आईडब्ल्यूएमपी परियोजना अवधि तक के लिए सृजित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	पे बैंड मय ग्रेड पे (प्रति माह)
1	कनिष्ठ अभियन्ता	4	PB-2 9300-34800 (ग्रेड पे 3200)

उक्त पदों पर पदस्थापित कामिकों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान भारत सरकार द्वारा स्टेट लेवल नोडल एजेंसी को आवंटित केन्द्रीय सहायता मद से किया जायेगा।

31.4.10

शासन सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक: एफ.18(आई-26)आईडब्ल्यूएमपी./2009-10/5197-5208 दिनांक: 16-4-2010
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग, ब्लॉक-11, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. राजस्थान जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त कृषि विभाग, राज, जयपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए. एवं आयुक्त जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-5), विभाग, जयपुर को उनकी आई.डी.सं. 101000539 दिनांक 23.2.2010 के सम्बन्ध में सूचनाार्थ।
10. अतिरिक्त निदेशक, आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्त अधिकारी एस.एल.एन.ए., आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज, जयपुर।
12. उप निदेशक (प्रशासन) एवं प्रशासनिक अधिकारी (एस.एल.एन.ए.), मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि 4 कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

31.4.10

शासन सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग